

13/10/16

घासी एवं अजर्बी से. 1 व 2 के सलतन वकालतक दस्तखत। राजिनाम  
पेश किया जो कमिन्लेख पर लिख जाके योग्य नहीं पाये जाते से नाम  
नाम रकास किया गया तथा अकिल्य में विवाहित आराजी के लिए  
नाद लोगे से पक्षधारा के बार्ड किया जाता है T.I के साथ वाद पत्र  
खरिज होने से वा.पत्र उच्चाप शुन्य हो गया है। इस वा. पत्र खरिज  
किया जाता है मितल फैसल सुभार होकर नखर से हक से  
वाद पदतर दारखिल है।

उपखण्ड अधिकारी  
मसूदा (अजमेर)

